



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,  
नई दिल्ली 110 016  
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg  
New Delhi 110 016  
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570  
website: www.kvsangathan.nic.in

फ. सं. 11029-17/2010-के.वि.सं. (मु.)/ (प्रशासन-1)

दिनांक: 26.12.2016


### कार्यालय-ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक, प्रवर श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदनामों में परिवर्तन

सहायक, प्रवर श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदनामों में परिवर्तन से संबन्धित कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन (डीओपीटी), मंत्रालय के दिनांक 21.12.2015 के आदेश संख्या फा.सं. 21/12/2010-सीएस.आई(पी) के अनुपालन में तथा के.वि.सं. में इसे अपनाने के लिए के.वि.सं. के अधिशासी मण्डल द्वारा दिनांक 15.11.2016 को आयोजित अपनी 106वीं बैठक में किए गए अनुमोदन के उपरांत केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक, प्रवर श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदनामों में तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार परिवर्तन करने की जानकारी एतद्वारा प्रदान की जाती है:

क्र. सं.	वर्तमान पदनाम	नया पदनाम
1.	सहायक	सहायक अनुभाग अधिकारी (स. अनु. अधि.)
2.	प्रवर श्रेणी लिपिक	वरिष्ठ सचिवालय सहायक (व. सचि. सहा.)
3.	अवर श्रेणी लिपिक	कनिष्ठ सचिवालय सहायक (क. सचि. सहा.)

उपर्युक्त पदों के नामों में परिवर्तन किसी वित्तीय उन्नयन के बिना किया गया है।

  
(डॉ. ई. प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण :

1. उप-सचिव, यूटी, मा. सं. वि. मं., नई दिल्ली को के.वि.सं. के अधिशासी मंडल की दिनांक 15.11.2016 को हुई बैठक की पूरक कार्यसूची के मद सं. 3 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. कार्यकारी सहायक / निजी सचिव आयुक्त, के.वि.सं., नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशासन/ शैक्षिक), के.वि.सं., नई दिल्ली।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), के.वि.सं., नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि संगठन भर्ती नियमावली में आवश्यक संशोधन करें।
5. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
6. निदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, मैसूर, एवं भुवनेश्वर ।
7. सहायक आयुक्त (स्था.-II/ III) के.वि.सं. (मु.) को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. सभी अधिकारी / अनुभाग, के.वि.सं. (मु.), को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
9. प्राचार्य, के.वि. मास्को, काठमांडू, तेहरान ।
10. अध्यक्ष / महासचिव, के.वि.सं. के मान्यता प्राप्त सभी कर्मचारी संघ।
11. उपायुक्त (ईडीपी), के.वि.सं. को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को के.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करें।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,  
नई दिल्ली 110 016  
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg  
New Delhi 110 016  
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570  
website: www.kvsangathan.nic.in

F. 11029-17 /2010-KVS/(HQ)/(Admn-I)

Date: 26.12.2016


**OFFICE-MEMORANDUM**

**Sub: Change of nomenclature of the posts of Assistant, Upper Division Clerk & Lower Division Clerk in KVS.**

In pursuance of the order F.No.21/12/2010-CS.I(P) dated 21.12.2015 of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (DoPT) regarding change of nomenclature of the posts of Assistant, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk and approval of the Board of Governors (BoG), KVS in its 106<sup>th</sup> Meeting held on 15.11.2016 to adopt the same in Kendriya Vidyalaya Sangathan, the decision of BoG, KVS is hereby conveyed to change the nomenclature of the posts of Assistant, Upper Division Clerk & Lower Division Clerk in KVS with immediate effect as under:

S.No.	Existing Designation	New Designation
1	Assistant	Assistant Section Officer (ASO)
2	Upper Division Clerk	Senior Secretariat Assistant (SSA)
3	Lower Division Clerk	Junior Secretariat Assistant (JSA)

The nomenclature of the above posts has been changed without any financial upgradation.


  
(Dr. E. Prabhakar)

Joint Commissioner (Pers.)

**Distribution:**

1. The Deputy Secretary, UT, MHRD New Delhi for information w.r.t. Supplementary Agenda Item No. 3 of BOG KVS meeting dated 15.11.2016.
2. EA/ PS to Commissioner KVS.
3. The PS to Additional Commissioner (Admn./ Acad.), KVS.
4. The Joint Commissioner (Admn.), KVS with the request to make necessary changes in the relevant Recruitment Rules.
5. The Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices for information and necessary action.
6. The Director, ZIET at Mumbai, Chandigarh, Gwalior, Mysore & Bhubaneswar.
7. The Assistant Commissioner (E.II/III) KVS Hqrs for necessary action.
8. All Officers/Sections KVS (Hqrs.) for information and necessary action.
9. The Principal, KV Moscow, Kathmandu, Tehran.
10. The President/General Secretary of recognized staff associations of KVS.
11. The Deputy Commissioner (EDP), KVS with the request to upload the OM on KVS website.

\*\*\*\*\*

  
26/12/16